

संख्याक-01

मूल वाद में डिक््री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 381/2020

रीना पुत्री जवाहरलाल जाति अरोडा निवासी 25 पी विकास नगर नजदीक चहल चौक  
श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

वादीया

- 1 धापी देवी पत्नी धोंकलराम जाति विश्‍नोई निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर  
जिला श्रीगंगानगर
- 2 सुशील कुमार पुत्र धोंकलराम जाति विश्‍नोई निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर  
जिला श्रीगंगानगर
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक््री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री राकेश सिहाग वकील वादीया मिन जामिन मुद्ई श्री दीपक स्वामी, श्री सन्त कुमार अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्यायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक््री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) चक 5 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 60/55 प.न. 92/119 मु.न. 15 कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी कुल 0.253 है. नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खाता से मेहर सिंह पुत्र मोहन सिंह, सुखजीत कौर पुत्री करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। (ख) चक 5 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 60 प.न. 98/118 मु.न. 8 कि.न. 15/2 में 0.126 है. नहरी कुल 0.126 है. नहरी आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी एव प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादी एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। चक 19 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 37/37 प.न. 106/145 मु.न. 12 कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, प.न. 106/146 मु.न. 17 कि.न. 3, 4 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5/1 में 0.228 है. नहरी, कि.न. 5/2 में 0.025 है. खाला, कि.न. 6/1 में 0.228 है. नहरी, कि.न. 6/2 में 0.025 है. खाला, कि.न. 7, 8 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.277 है. नहरी मय खाला आराजी एवं चक 19 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 36/36 प.न. 106/146 मु.न. 17 कि.न. 15/1 में 0.228 है. नहरी, कि.न. 15/2 में 0.025 है. खाला, कि.न. 18के उत्तर दिशा में 0.012 है, कि.न. 19 के उत्तर दिशा में 0.013 है., कि.न. 20 के उत्तर दिशा में 0.013 है. नहरी कुल 0.291 है. नहरी मय खाला आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीया का खाता अलग कायम किया जाकर वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.1.21 को जारी किया गया।



हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहर